

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में दूसी हुर</p>
------------------------	---	--

२६.३.१९

पञ्जाबी के अमीला व कर्मचारियों
अमीला को न्यायालय से बाहर बाहर
किया जाये। वही-वही किये जाये
दिलाने के बावजूद कोई अपमान
नहीं। अतः अमीला अमीला व कर्म.
अमीला की गैर कर्मचारियों के अफस
हाजरी के अमीला की जाती है। पञ्जाबी
बाद अमीला कर्मचारियों के।

